

## न्यायालय सब जज—तृतीय, डुमरौव, जिला—बक्सर

टी० एस० नं०—225/2023

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| कामेश्वर पाठक        | —     | वादी       |
|                      | बनाम् |            |
| तारकेश्वर पाठक वगैरह | —     | प्रतिवादगण |

**31.10.2025**

वादी की ओर से आवेदन दिनांक—05.09.2023 आदेश 39 नियम 1 व 2(ए) के अंतर्गत इस आशय से दाखिल किया गया है कि वादी उक्त वाद बतजबीज अदम हकियत वो मुदालेह केबाला द्वारा प्रतिवादी नं० 1 बहक प्रतिवादी सं० 4 निश्चित सैमुदावहा मुंदर्जे जमीमा नं० 2 के शून्य घोषित किया जाए वो उक्त वाद के अर्जी के जमीमा नं० 3 की एराजी का प्रारंभिक डिक्री पारित कर फाइनल डिक्री पारित करने वास्ते किया है। प्रतिवादी सं० 4 कौशल किशोर पाठक प्रार्थी मुदई के सैतकरारी जमीमा नं० 2 की एराजी पर दखल कब्जा में दस्तनदाजी करते रहता है। मुदई जमीमा नं० 2 की एराजी पर सोहनी करा रहा था कि दिनांक—03.09.2023 समय 10.30 बजे प्रतिवादी सं० 4 मुदई के विवादित एराजी में सोहनी करने से रोकने लगा तथा प्रतिवादी सं० 4 वो उसके अन्य पांच लोग मुदई के साथ गाली गलौज मार पीट पर उतारू हो गये वो प्रतिवादी सं० 4 द्वारा प्रतिवादी सं० 1 से विवादित एराजी जाली फरेबी नुमायशी वो हिस्से से अधिक खरीदा है जो स्वतः शून्य दस्तावेज है। हिस्से से ज्यादा एराजी है जो स्वतः शून्य दस्तावेज है। प्रतिवादी सं० 1 तारकेश्वर पाठक अभी भी संयुक्त एराजी बेचने वास्ते गांव के लोगों से बात कर रहे हैं वो वादी का मुख्य पेशा कृषि है वो मना करने पर परिवार के साथ मारपीट गाली गलौज करने पर अमादा हो जाते हैं वो मकान का कुछ हिस्सा बेच चुके हैं और अब कह रहे हैं कि पूरा मकान बेच देंगे। यदि प्रतिवादी सं० 1 खरीद बिक्री से नहीं रोका जायेगा तो समूची किमती एराजी प्रतिवादी सं० 1 बेच कर भाग जाएंगे वो मुदई घर वो कृषि योग्य जमीन से बेदखल होकर रोड पर आ जायेगा। प्रतिवादी सं० 4 के मुदई के दखल कब्जे में दस्तनदाजी ता फैसला होने तक रोका जाए। जब तक बंटवारा न हो जाय कानूनतः कम जमीन पर जाने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं० 4 को मुदई के दखल कब्जे में दस्तनदाजी करने से नहीं रोका गया तो मुदई को अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है तथा मुदई विवादित एराजी पर संयुक्त दखल कब्जा है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं० 1 वो 4 को खरीद बिक्री करने से रोक लगाने का आदेश दिया जाए।

उपरोक्त आवेदन के आलोक में प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए प्रतिवादी सं०—1 एवं 4 के द्वारा वादी के कथन को अस्वीकार करते हुए निवेदन करते हैं कि वादी का आवेदन कानूनन मेंटेनेबुल नहीं है। सही तथ्य को छुपाकर गलत तथ्य के आधार पर दाखिल किया गया है।

वादी के पक्ष में प्राईमाफेसी केस नहीं है वो सुविधा का संतुलन भी मुदालेहम के पक्ष में है। प्रतिवादी सं० 1 एवं 4 के तरफ से दिनांक-24.01.2024 को ही अपना बयान तहरीरी दाखिल किया गया है जिसे इस जबाब का अंश समझा जाए। राम प्रवेश पाठक के मरने के बाद लगभग 20 वर्ष पूर्व मुस्तकिल बंटवारा हो चुका है। उसी के आलोक में पक्षकार अलग-अलग खरीद बिक्री किये हैं। उक्त बंटवारा के आलोक में कलावती देवी पति राम प्रवेश पाठक प्रतिवादी सं० 2 ने दिनांक-30.06.2021 को ग्राम नेनुआ की एराजी खाता नं० 94 प्लॉट नं० 1439 रकबा 27 डी० वो प्लॉट नं० 1433 रकबा 12.219 डी० निबंधित केबाला से रामाशंकर तिवारी पिता रंग नाथ तिवारी को बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया है जिसमें कामेश्वर प्रसाद वादी भी शामिल है तथा वादी की सहमति से उक्त केबाला निष्पादित हुआ है वादी ने जान बूझ कर प्लॉट नं० 1433 को मुकदमा में शामिल नहीं किया है इसके अलावे प्रतिवादी सं० 2 कलावती देवी ने प्रियंका कुमारी को खाना नं० 204 प्लॉट नं० 1032 में 15.625 डी० पूरब तरफ से बिक्री किया है। उक्त प्लॉट में 1032 में पश्चिम तरफ 23.37 डी० एराजी तारकेश्वर पाठक के खास हक हिस्से की एराजी थी। तारकेश्वर पाठक ने अपनी निजी जरूरीयात के लिए दिनांक-18.03.2023 को उक्त एराजी कौशल किशोर पाठक पिता मथुरा पाठक को बिक्री किया है जिस पर क्रेता का दखल कब्जा चला आता है। वाद पत्र के पारा नं० 5 में बिल्कुल गलत आरोप प्रतिवादी सं० 1 के विरुद्ध लगाया है प्रतिवादी सं० 2 शराबी नहीं है बल्कि अपने परिवार के हित को ध्यान में रख कर खरीद बिक्री किया है। पक्षकारों के बीच आपस में भी खरीद बिक्री हुआ है जो बंटवारा का प्रमाण है। वादी ने सही तथ्य को छुपाकर वाद दाखिल किया है। निषेधाज्ञा के लिए तीन इनग्रेडियेंस आवश्यक है तथा एक अनुपस्थिति में वादी निषेधाज्ञा पाने के लिए अधिकारी नहीं है। क्रेतागण अपनी-अपनी खरीदगी एराजी पर दखल कब्जे में चले आते हैं वैसी स्थिति में वादी उक्त एराजी के दखल में नहीं है। वादी कामेश्वर पाठक ने अपनी एराजी अशोक पाठक के यहां रेहन रखे थे जिसके लिए ग्राम कचहरी कुशलपुर के सरपंच के समक्ष कागजात भी तैयार हुआ है। वादी का दावा बिल्कुल गलत एवं निराधार है एवं वादी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक- 05.09.2023 खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद विवादित भूमि के बंटवारे हेतु तथा प्रतिवादी सं०-1 के द्वारा प्रतिवादी सं०-4 के पक्ष में किये गये केबाला को शून्य घोषित कराने हेतु इस आधार पर लाया गया है कि विवादित भूमि एक संयुक्त संपत्ति है जिसमें दोनों पक्षकारों के मध्य आज तक किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ है। जबकि प्रतिवादी का कथन है कि उनके मध्य खानगी बंटवारा 20 वर्ष पूर्व हो चुका है। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण एवं वादी के द्वारा विवादित भूमि के निस्वत बंधक पत्र तथा बिक्रय पत्र के द्वारा भूमि का हस्तांतरण किया गया है। किंतु प्रतिवादी के द्वारा

न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि खांगी बंटवारा के अनुसार किसको कौन-सी और कितनी भूमि प्राप्त हुई है। ऐसी परिस्थिति में वादी का प्रथम दृष्टया वाद बनता प्रतीत होता है। पुनः वादी के कथन से विदित होता है प्रतिवादी के क्रेता के द्वारा वादी के दखल में भूमि पर विवाद उत्पन्न हुआ है। ऐसी परिस्थिति में सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। पुनः यदि वाद लंबित रहने के दौरान पक्षकारों को हस्तांतरण करने से निषिद्ध नहीं किया जाता है तो वादी जो प्रतिवादी के भाई एवं पुत्र हैं को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना प्रतीत होती है। ऐसी परिस्थिति में वादी का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक..... वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज—तृतीय